

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./105/2024

1. सांवरा पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी भैरुखेड़ा तहसील टांटोटी जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. भूपेन्द्र पुत्र गणेश जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. नाथू पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम




निर्णय दिनांक:-05.07.2024

- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री राहुल आचार्य, नेमीचन्द जाट
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा राममालियां पटवार क्षेत्र राममालियां भू0अ0नि0 क्षेत्र घांतोल के खाता सं0 11 में दर्ज खसरा नम्बर 2775/1124 रकबा 0.81 कुल किता 01 कुल रकबा 0.81 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 02 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 03 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।


प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 को नियमानुसार सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील प्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128 भू0रा0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम राममालियां के खाता संख्या 11 संवत 2071-2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा राममालियां पटवार क्षेत्र राममालियां भू0अ0नि0 क्षेत्र घांतोल के खाता सं0 11 में दर्ज खसरा नम्बर 2775/1124 रकबा 0.81 कुल किता 01 कुल रकबा 0.81 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार भिनाय को 500/- रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।




(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड आधिकारी
भिनाय (केकड़ी)